न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 30/2019 **RCMS 2019/00064 (SDO NAWA के यहाँ दर्ज प्रकरण सं. 114/2006)**

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. देबूराम पुत्र गणेशराम जाति कुम्हार निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी
2. किशनलाल पुत्र पेफाराम जाति कुम्हार निवासी टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी
3. भंवरीदेवी बेवा गोरधनराम जाट
4. रामनारायण पुत्र गोरधनराम जाट
5. इन्द्राराम पुत्र गोरधनराम जाट
6. मोहनराम पुत्र गोरधनराम जाट
7. ईशरराम पुत्र गोरधनराम जाट
8. भुवानाराम पुत्र गोरधनराम जाट
9. देवाराम पुत्र गोरधनराम जाट
10. जेठाराम पुत्र छगनाराम जाट
11. भंवरलाल पुत्र बोदूराम जाट
12. रामपाल पुत्र बोदूराम जाट
13. चैनाराम पुत्र बोदूराम जाट
14. श्रवणराम पुत्र बोदूराम जाट
15. गंगादेवी बैवा बोदूराम जाट
16. तुलछाराम पुत्र गोरधराम जाट निवासीयान बुगालिया का बास, कुचामनसिटी
17. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) जिला नागौर
18. अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक, भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

उपस्थित :– श्री बनवारीलाल अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 11 से 12 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 23.07.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:49:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण का सार संक्षेप में इस [illegible] पुरा तहसील कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 144 रकबा 39 बीघा 19 बिस्वा जि[illegible] ग्राम टोरड़ा के नये खसरा नम्बर 451 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्ब[illegible] खसरा नम्बर 460 रकबा 3.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 1110/460 रकबा 0.30 हैक्टर कुल रकबा 6.47 हैक्ट[illegible] गत खसरा नम्बर 105/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्ब[illegible]11 रकबा 63 बीघा [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 70 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन ग्राम टोरडा के नये खसरा नम्बर 290 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 291 रकबा 2.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 2.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.00

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Rcms- 2019100064

हैक्टर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1113/296 रकबा 11.34 हैक्टर को लेकर पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के यहाँ प्रकरण सं. 114/2006 भंवरलाल बनाम देबूराम वगैरह दर्ज होकर सुनवाई होकर विधिवत सुनवाई होकर दिनॉक 07.02.2008 को प्रकरण निस्तारित होकर वाद डिक्री होकर माफिक डिक्री पक्षकारान के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ। पीड़ित पक्षकारा द्वारा उक्त डिक्री आदेश की प्रथम अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहॉ की गई जिसमें दिनॉक 30.12.2009 अपील खारिज की गई, तत्पश्चात उक्त आदेश की द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई, जिसमें अपील दिनॉक 03.05.2019 को आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नावां के द्वारा पारित निर्णय को अलग रखा गया तथा प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर उचित निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी नावां को भिजवाई गई। वर्ष 2007 में कुचामनसिटी में न्यायालय सहायक कलक्टर की स्थापन्ना होने से प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के पत्रांक/रीडर/147 दिनॉक 07.06.2019 को पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेंर के आदेश की पालना में प्रकरण सं. 30/2019 दिनॉक 07.06.2019 को दर्ज रजिस्टर कर संबंधित पक्षकार की जरिये सम्मन तलबी जारी की गई। प्रतिवादी रामपाल भंवरलाल जेठाराम की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ। उपरोक्त प्रतिवादी ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम दिनॉक 30.08.2019 को प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुरा के खसरा नम्बर 293 294 342 1113/296 कुल रकबा 2.44 हैक्टर में गोरधनलाल भंवरलाल पि. लादूराम का 1/2 हिस्सा, छगनाराम पुत्र श्योबक्षाराम जाति जाट का 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है जो कि उक्त भूमि पैतृक हक अधिकारो की दर्ज चली आ रही है जिसमें अपने-अपने हक हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है, छगनाराम के स्वर्गवास हो जाने पर उनके जरिए उत्तराधिकारी जेठाराम पुत्र छगनाराम भंवरलाल रामपाल चेनाराम श्रवणराम पि. बोदूराम का नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा था, इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे है, जबकि उक्त वाद पत्र में वादी द्वारा भू-विभाजन बंटवारा दर्शाया गया है वह गलत मनगढ़ंत होने से अस्वीकार है व अपने हक हिस्से से अधिक दर्ज कराया गया है जबकि उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 293, 294, 342, 1113/296 कुल रकबा 2.44 हैक्टर में वादी भंवरलाल व प्रतिवादी गोरधनलाल के वारिसान 1/2 हिस्सा अर्थात 1.22 हैक्टर भूमि के ही खातेदार दर्ज चले आ रहे है, उसके अधिक भूमि उनको कभी प्राप्त नही हो सकती, तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं.10 ता 14 की खातेदारी दर्ज चली आ रही है, खसरा नम्बर 293, 294, 342, 1113/296 कुल रकबा 2.44 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा वादी व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 ता 9 व 16, व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 10, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 11 ता 15 [illegible] आ रहे थे उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे [illegible] वाद पत्र में अपने बंट से अधिक भूमि दर्शायी है जो गलत है, सहखा[illegible] हिस्से अनुसार अपना अपना हिस्सा प्रत्येक को प्राप्त है जबकि वा[illegible] हिस्से में 1.22 हैक्टर भूमि बनती है उन्होने अपने बंट में 1.42 हैक्टर की मांग की है व क[illegible] प्राप्त नही हो सकती है इसलिए वाद खारिज फरमाया जावे, खसरा नम्बर 293 में वादी किसी प्रकार का भू-विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी नही है, काउन्टर क्लेम अनुसार खसरा नम्बर 293, 294, 342, 1113/296 कुल रकबा 2.44 हैक्टर को पुनः शामलाती दर्ज कर 1/4 हिस्सा वादी व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3 ता 9 व 16, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी जेठाराम, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 11 से 15 के नाम दर्ज किया जावे, खसरा नम्बर 293, 294, 342, 1113/296 के नवीन खसरा नम्बर 1113/296, 1164/293, 294 रकबा 1.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 293, 342 कुल रकबा 1.02 हैक्टर का पूर्व रकबा 2.44 हैक्टर को शामलाती दर्ज किया जावे व पूर्व की स्थिति कायम की जाकर बहिस्सा बराबर–बराबर का भू–विभाजन किया जावे, वादी भंवरलाल ने अपने बंट में 1.42 हैक्टर भूमि दर्ज करा ली गई जबकि उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में उनका 1.22 हैक्टर बनता है इस प्रकार अधिक हिस्सा को कम दर्ज करते हुये पूर्व की स्थिति कायम किये जाने की आवश्यकता है व सब खातेदारो के पूर्व की भांति बराबर–बराबर भूमि दर्ज की जावे अन्यथा उक्त वाद पत्र को मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, वादी वकील द्वारा पूर्व में पारित आदेश को सही मानते हुए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज किये जाने का कथन किया तथा प्रतिवादी वकील द्वारा काउन्टर क्लेम अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल ग्राम रूपपुरा सम्वत 2041–2044 खसरा नम्बर 105/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 111 रकबा 63 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 113 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 70 बीघा 2 बिस्वा में मांगूराम पुत्र हुक्माराम हरदेवाराम पुत्र सदाराम गोरधनराम भंवरूराम पि. लादूराम सुरजाराम पुत्र सदाराम कौम जाट सा. कुचामन खातेदार दर्ज है, नई जमाबन्दी नकल दिनॉक 04.02.2008 वर्ष 2006 अनुसार ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 293 294 342 1113/296 कुल रकबा 2.44 हैक्टर में गोरधनलाल भंवरलाल पि. लादूराम जेठाराम पुत्र छगनाराम भंवरलाल रामपाल चैनाराम श्रवणराम पि. बोदूराम गंगादेवी बैवा बोदूराम कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, जमाबन्दी नकल ग्राम रूपपुरा सम्वत 2041–2044 खसरा नम्बर 144 रकबा 39 बीघा 19 बिस्वा में गोरधनराम भंवरूराम पि. लादूराम कौम जाट हि. 1/2 चौथूराम पुत्र गुलाराम जाट हि. 1/2 सा. कुचामन खातेदार दर्ज है, नई जमाबन्दी नकल दिनॉक 04.02.2008 वर्ष 2006 अनुसार ग्राम टोरड़ा के 451 459 460 1110/460 कुल रकबा 6.47 हैक्टर में गोरधनलाल भंवराराम पि. लादूराम कौम जाट हि.1/2 सा. देह कुचामन देबूराम पुत्र गणेशराम जाति कुमावत 1/2 सा. कुचामनसिटी खातेदार अंकित है। जमाबंदी नकल सम्वत 2053–2056 अनुसार ग्राम रूपपुरा टोरड़ा के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.90 हैक्टर, 294 रकबा 1.00 हैक्टर, 342 रकबा 0.20 हैक्टर, 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 2.44 हैक्टर में गोरधनलाल भंवरलाल पि. लादुराम छगनाराम पुत्र श्योबक्षराम कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2057 से 2060 अनुसार ग्राम रूपपुरा टोरड़ा के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.90 हैक्टर, 294 रकबा 1.00 हैक्टर, 342 रकबा 0.20 हैक्टर, 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 2.44 हैक्टर में गोरधनलाल भंवरलाल पि. लादुराम जेठाराम पुत्र छगनाराम भंवरलाल रामपाल चैनाराम श्रवणराम पि. बोदूराम [illegible] बैवा बोदूराम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है।

प्रकरण से विवेचन से स्पष्ट है [illegible] 10 से 15 छगनाराम पुत्र श्योबक्षराम के वारिसान है जिनका उपरोक्त जमाबंदी के विवेचन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 एवं 16 के साथ संयुक्त [illegible] से भूमि दर्ज रही है तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 15 के वारिसान का खसरा नम्बर 293 रकबा 0.90 हैक्टर, 294 रकबा 1.00 हैक्टर, 342 रकबा 0.20 हैक्टर, 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 2.44 हैक्टर में 1/2 हिस्सा अर्थात 1.22 हैक्टर हिस्सा बनता है जबकि पूर्व में माननीय न्यायालय उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Rcms - 2019/00064

अधिकारी नावां द्वारा पारित आदेश में वादी भंवरलाल के 1.22 के बजाय 1.42 हैक्टर भूमि के आदेश दिये गये उक्त प्रकरण में केवल प्रतिवादी संख्या 1 देबूराम के द्वारा वादी के साथ लिखित में राजीनामा प्रस्तुत करने पर ही ऐसे आदेश दिये गये, जबकि अन्य खातेदार द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत नही किया गया था साथ ही प्रतिवादी संख्या 11 12 भंवरलाल एवं रामपाल द्वारा उक्त निर्णय डिक्री की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में किये जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रामपाल एवं भंवरलाल को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, संबंधित प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रकरण में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 से 15 का 1.22 हैक्टर हिस्सा हित निहित है। अतः माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के प्रकरण संख्या 114/2006 में जारी पारित निर्णय एवं डिक्री दिनॉक 07.02.2008 को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व जमाबंदी में अंकित प्रविष्टि ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.90 हैक्टर, 294 रकबा 1.00 हैक्टर, 342 रकबा 0.20 हैक्टर, 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 2.44 हैक्टर गोरधनलाल भंवरलाल पि. लादूराम जेठाराम पुत्र छगनाराम भंवरलाल रामपाल चेनाराम श्रवणराम पि. बोदूराम गंगादेवी बेवा बोदूराम कोम जाट सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के प्रकरण सं. 114/2006 भंवरलाल बनाम देबूराम वगैरह में पारित निर्णय डिक्री दिनॉक 07.02.2008 को निरस्त किया जाता है तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम एवं जवाब दिनॉक 30.08.2019 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–2076 ग्राम टोरडा पटवार मण्डल रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 1164/293 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम कुल रकबा 1.42 हैक्टर भंवरलाल पुत्र लादूराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. बुगालियो का बास खातेदार तथा वर्तमान जमाबंदी नकल 2073–2076 ग्राम टोरडा पटवार मण्डल रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 1.02 हैक्टर में उपरोक्त दोनो प्रविष्टियों को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा पूर्ववत अंकित प्रविष्टि ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.90 हैक्टर, 294 रकबा 1.00 हैक्टर, 342 रकबा 0.20 हैक्टर, 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 2.44 हैक्टर गोरधनलाल भंवरलाल पि. लादूराम 1/2 जेठाराम पुत्र छगनाराम 1/4 भंवरलाल रामपाल चेनाराम श्रवणराम पि. बोदूराम गंगादेवी बेवा बोदूराम 1/4 कोम जाट सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। संबंधित पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनॉक 23/07/...... को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:49:37 IST
Reason: SelfAttested

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**
बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 30/2019 **RCMS 2019/00064 (SDO NAWA** के यहाँ दर्ज प्रकरण सं. 114/2006) Rcms. 2019/00064

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. देबूराम पुत्र गणेशराम जाति कुम्हार निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी
2. किशनलाल पुत्र पेफाराम जाति कुम्हार निवासी टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी
3. भंवरीदेवी बेवा गोरधनराम जाट
4. रामनारायण पुत्र गोरधनराम जाट
5. इन्द्राराम पुत्र गोरधनराम जाट
6. मोहनराम पुत्र गोरधनराम जाट
7. ईशरराम पुत्र गोरधनराम जाट
8. भुवानाराम पुत्र गोरधनराम जाट
9. देवाराम पुत्र गोरधनराम जाट
10. जेठाराम पुत्र छगनाराम जाट
11. भंवरलाल पुत्र बोदूराम जाट
12. रामपाल पुत्र बोदूराम जाट
13. चैनाराम पुत्र बोदूराम जाट
14. श्रवणराम पुत्र बोदूराम जाट
15. गंगादेवी बेवा बोदूराम जाट
16. तुलछाराम पुत्र गोरधराम जाट निवासीयान बुगालिया का बास, कुचामनसिटी
17. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) जिला नागौर
18. अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक, भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53,188 आर.टी.एक्ट. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बनवारीलाल शर्मा हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 11 एवं 12 की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के प्रकरण सं. 114/2006 भंवरलाल बनाम देबूराम वगैरह में पारित निर्णय डिक्री दिनॉक 07.02.2008 को निरस्त किया जाता है तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम एवं जवाब दिनॉक 30.08.2019 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–2076 ग्राम टोरडा पटवार मण्डल रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 1164/293 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम कुल रकबा 1.42 हैक्टर भंवरलाल पुत्र लादूराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. बुगालिया बास खातेदार तथा वर्तमान जमाबंदी नकल 2073–2076 ग्राम टोरडा पटवार मण्डल रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 1.02 हैक्टर में उपरोक्त दोनो प्रविष्टियों को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा पूर्ववत अंकित प्रविष्टि ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.90 हैक्टर, 294 रकबा 1.00 हैक्टर, 342 रकबा 0.20 हैक्टर, 1113/296 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 2.44 हैक्टर गोरधनलाल भंवरलाल पि. लादूराम 1/2 जेठाराम पुत्र छगनाराम 1/4 भंवरलाल रामपाल चेनाराम श्रवणराम पि. बोदूराम गंगादेवी बेवा बोदूराम 1/4 कोम जाट सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। संबंधित पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:49:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

RCMS- 2019/00064

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 07 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत आफिसर (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:49:37 IST
Reason: SelfAttested